

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख 09 अक्टूबर, 2024

संख्या:1-58/69-फिन(एल0ए0)-4857.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: 1-58/69-फिन(एल0ए0) पार्ट-5981, तारीख 02-09-2019 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2.	नियम 1 का संशोधन:		हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- “(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियन्त्रक, गुप-ए (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है”।
3.	उपाबन्ध-“क” का संशोधन:	(क)	उक्त नियमों के उपाबन्ध “क” में, (क) शीर्षक में,— “वर्ग-I” और “स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “गुप-ए” और “राज्य लेखा परीक्षा विभाग” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे;
		(ख)	स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- “5 (पाँच)”;
		(ग)	स्तम्भ संख्या 3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- “गुप-ए (राजपत्रित)”;
		(घ)	स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- “हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित

			वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान के साथ संलग्न पे-मैट्रिक्स का लेवल (स्तर)–21”
--	--	--	---

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वित्त)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA) dated 09-10-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

STATE AUDIT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Dated, the 9th October, 2024*

File No. 1-58/69-Fin(LA)–4851.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019 notified *vide* this Department Notification No. 1-58/69-Fin(LA)Part 5981, dated 02-09-2019, namely:—

1.	Short title and commencement:	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2024.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta (e-Gazette), Himachal Pradesh.
2.	Amendment of rule 1:		In rule 1 of the Himachal Pradesh Local Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019, (hereinafter referred to as the “said rules”), for sub-rule (i) the following shall be substituted, namely:— “(i) These rules may be called the Himachal Pradesh State Audit Department, Joint Director/Joint Controller, Group-A (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019”.
3.	Amendment of Annexure-“A”:	(a)	In Annexure-“A” of the said rules,— in the heading for the words and signs “Class-I” and “Local Audit Department”, the words and signs “Group-A” and “State Audit Department” shall be substituted respectively;
		(b)	for the existing provision against Column No. 2,

			the following shall be substituted, namely:— “5 (Five)”;
		(c)	for the existing provision against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:— “Group-A (Gazetted)”;
		(d)	for the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:— “Level-21 of the pay matrix attached with time scale of the post, as per the Himachal Pradesh Civil Services (Revised Pay) Rules, 2022”.

By order,

Principal Secretary (Finance).

राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

तारीख 09 अक्टूबर, 2024

संख्या:1-58/69-फिन(एल0ए0)-4893.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या:1-58/69-फिन(एल0ए0) पार्ट(2), तारीख 06-11-2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2024 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2.	नियम 1 का संशोधन:		हिमाचल प्रदेश, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- “(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, अनुभाग अधिकारी, ग्रुप-बी (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है”।
3.	उपाबन्ध-“क” का संशोधन:	(क)	उक्त नियमों के उपाबन्ध “क” में, (क) शीर्षक में,— “वर्ग-II” और “स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “ग्रुप-बी” और “राज्य लेखा परीक्षा विभाग” शब्द